

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश


क्रमांक / स्था 2 / सी / स्था / 45 / 2010 / 1340,

भोपाल दिनांक 13/8/10

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य के व्यक्तियों के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख क्रम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है। यह पदस्थानान्तरण स्वाच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा मूल्य का भुगतान नहीं होगा।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.सी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था / जिले का आई.सी. कोड	स्थानान्तरित संस्था / जिले का नाम	संस्था / जिले का आई.सी. कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री चन्द्रमणी पाण्डेय (इतिहास)	अप्राप्त	शास.उ.मा.वि.कुआ जिला सतना	23130577702	शास.उ.मा.वि.चुरहट जिला सतना	23130677702
2	श्री केशव चौधरी (भूगोल)	अप्राप्त	शास.बा.उ.मा.वि.डवबरा जिला ग्वालियर	23040177701	शास.पदमाराज क.उ.मा.वि.ग्वालियर	23040577714
3	श्री कैलाशचन्द्र वर्मा (हिन्दी)	AO 6173	शास.उ.मा.वि. मूंदी जिला खण्डवा	23290977703	शास.उ.मा.वि. कसरावद जिला खरगौन	23271277701
4	श्री रामनरेश वर्मा (हिन्दी)	AR 4919	शास.उ.मा.वि. मगसैनी जिला शिवपुरी	23060877703	शास.उ.मा.वि. नायकपुरा जिला मुरैना	23060877703



आयुक्त

लोक शिक्षण मंत्र

भोपाल दिनांक 13/8/10

पृष्ठ क्रमांक / स्था 2 / सी / स्था 0 / 45 / 2010 / 1341,
प्रतिलिपि.

1. निज सहायक मान सत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. ज.न.क.दर जिला सतना / ग्वालियर / खण्डवा / खरगौन / शिवपुरी / मुरैना।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सतना / ग्वालियर / खण्डवा / खरगौन / शिवपुरी / मुरैना।
5. संयुक्त सचिव लोक शिक्षण सभागीय कार्यालय रीवा / ग्वालियर / इन्दौर।
6. जिला काषाक्षय अधिकारी जिला सतना / ग्वालियर / खण्डवा / खरगौन / शिवपुरी / मुरैना।
7. जिला शिक्षा अधिकारी सतना / ग्वालियर / खण्डवा / खरगौन / शिवपुरी / मुरैना। म.प्र. की भाषा विभाग में निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख सतना जिला में भेजा जाये। यदि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता के रूप में वर्तमान संस्था में विद्यमान हो संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है पूर्ण रूप से जाहिरनामा प्रकाशित करके प्रस्ताव सप्तह में कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करादे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय का उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण मंत्र

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था 2/सी/व्या/67/10 /1342,
आदेश

भोपाल दिनांक 13/8/10

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेशक्रमांक स्था-2/सी/व्या/स्थाना/42/10-951
952 दिनांक 15.6.2010 द्वारा श्रीमती अजुमणी निगम व्याख्याता (अंग्रेजी) शास.उ.मा.वि. मिरसराद
जिला भोपाल का स्थानांतरण शास.उत्कृ.उ.मा.वि.बुधनी जिला सीहोर किया गया था। जिसमें
एतद् द्वारा संशोधन करते हुये पदांकित संस्था को शास.उ.मा.वि. गांधीनगर जिला भोपाल संस्था में
किया जाता है।

2/ पूर्व आदेश में जारी शेष शर्तें यथावत रहेगी।

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल दिनांक 13/8/10

क्रमांक स्था 2/सी/व्या/67/10 /1343,
प्रतिज्ञापि -

1. निज सहायक मान मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल म.प्र.।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल/सीहोर म.प्र.।
5. राज्यस्त संचालक भोपाल संभाग भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल/सीहोर। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विद्यमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो शासन का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत कराया। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आदेश के कियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिनों में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
7. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित को ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

लोक शिक्षण म.प्र.